सत्र 2018–19 के लिए सेरीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पिता या पति का नाम :
3. स्थायी पता (अभिप्रमाणित आवासीय प्रमाण–पत्र) :

पासपोर्ट साईज फोटो

4. पत्राचार का पता :

5. दूरभाष नंबर / मोबाईल नंबर :
6. ई मेल :
7. जन्म तिथि– (मैट्रिक का उम्र संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति) :
8. जाति / धर्म (आरक्षण लाभ के लिए जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति) :
9. शैक्षणिक योग्यता

क्रमांक	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा का नाम	विषय / उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत

10. अनुभव (यदि कोई हो)
11. प्रशिक्षण के लिए विषय का चयन { Tick करें }

(क) ननमलवरी (NM) ☐ (ख) मलवरी (Mulberry) ☐

12. (क) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर दिए गए विवरण पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि / अन्तर होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है ।
    (ख) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद राज्य सरकार / केन्द्रीय रेशम बोर्ड पर नौकरी का दवा नहीं करूँगा / करूँगी ।
    (ग) प्रशिक्षण हेतु चयन होने पर मैं निर्धारित सत्र का प्रशिक्षण पूर्ण करूंगा / करूंगी। प्रशिक्षण अपूर्ण छोड़ने पर मैं सरकार एवं संस्थान से प्राप्त छात्रवृति, पुस्तकों के क्रय हेतु सहायता, भाड़ा लौटा दूंगा / दूंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

झारखंड सरकार

उद्योग, खान एव भूतत्व विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

विज्ञापन

सेरीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के सत्र 2018–19 में चयन हेतु झारखण्ड राज्य से आवेदन आमंत्रण

झारखण्ड देश में तसर रेशम का प्रमुख एवं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस व्यवसाय में रोजगार की काफी संभावना है। सेरीकल्चर विषय के उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों की कमी को दूर करने एवं स्वरोजगार के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों यथा केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रॉची तथा केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प0बंगाल) में क्रमशः गैर मलवरी एवं मलवरी रेशम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हेतु उम्मीदवारों को नामित किया जाता है।

सेरीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के सत्र 2018–19 में चयन हेतु आवेदक की पात्रता आदि का विवरण निम्नवत है –

1.	प्रशिक्षण का माध्यम	अंग्रेजी
2.	शैक्षणिक योग्यता	जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/रेशम/कृषि में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/इन विषयों में स्नातकोत्तर
3.	आयु सीमा	1.07.2018 को PGDS (Non Mulberry) प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तथा PGDS (Mulberry) प्रशिक्षण हेतु सेवारत (Govt./NGO) उम्मीदवारो के लिए अधिकतम 50 वर्ष एवं नये (Fresh) उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष
4.	वांछनीय	रेशम उत्पादन(सेरीकल्चर) की शाखा में अनुभव
5.	प्रशिक्षण अवधि	3 माह के गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित 15 माह
6.	प्रशिक्षु की संख्या	गैर मलवरी रेशम पालन प्रशिक्षण के लिए 8 सीटे एवं मलवरी रेशम पालन प्रशिक्षण के लिए 2 सीटें कुल 10 सीट।
7.	प्रशिक्षण स्थान	गैर मलवरी रेशम पालन प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रॉची एवं मलवरी रेशम पालन प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरहमपुर (प0बंगाल)
8.	पाठ्यक्रम शुल्क	प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 10,000/–(दस हजार) रूपये। राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने पर पाठ्यक्रम शुल्क में 50% की छूट केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दी जाती है। पाठ्यक्रम शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में नामांकन के समय नन मलवरी कोर्स हेतु निदेशक, केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रॉची के पदनाम से रॉची में भुगतेय तथा मलवरी कोर्स हेतु निदेशक केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बरहमपुर(प0बंगाल) के पदनाम से बहरमपुर(प0बंगाल) में भुगतेय जमा करना होगा।
9.	आवास एवं भोजन	50/–(पचास) रूपये/व्यक्ति/दिन/शैय्या के आधार पर बरहमपुर(प0बंगाल) संस्थान तथा 25/– (पचीस) रूपये/व्यक्ति/दिन/शैय्या के आधार पर नगड़ी रॉची संस्थान के हॉस्टल में आवास प्रदान किया जायेगा। भोजन का खर्च वास्तविक खर्च पर आधारित होगा, जो प्रशिक्षणार्थी को वहन करना होगा।
10.	बचन बद्धता (Under taking)	(क) चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत डिप्लोमा प्रमाण–पत्र के आधार पर वे केन्द्रीय रेशम बोर्ड/राज्य सरकार अथवा अन्यथा से नौकरी का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे । (ख) चयनित उम्मीदवार निर्धारित सत्र का प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे। प्रशिक्षण बीच में छोड़ने पर सरकार एवं संस्थान से प्राप्त सहायता यथा छात्रवृति, पुस्तकों के क्रय हेतु सहायता, भाड़ा इत्यादि की राशि सरकार/संस्थान को लौटा देंगे।

नोटः– राज्य सरकार द्वारा इस कोर्स के लिए नामित प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की स्वीकृति के पश्चात् छात्रवृति प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह रू0 1000/–(प्रशिक्षण अवधि में), अध्ययन भ्रमण में प्रति दिन का भत्ता प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन रू0 100/– अधिकतम 90 दिनों के लिए, पुस्तकों के क्रय हेतु एक मुश्त प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 1000/– की सहायता तथा नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थान तक एक बार जाने का तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर अंतिम बार वापसी का द्वितीय श्रेणी का किराया भुगतान हेतु सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अपना आवेदन (प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति के साथ) निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, उद्योग भवन, तीसरा तल्ला, रातू रोड, रॉची–834001 के पते पर दिनांक 15.05.2018 के अपराह्न 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं तथा दिनांक 17.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे से सभी मूल कागजात के साथ साक्षात्कार हेतु निदेशक हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, रांची के कार्यालय उद्योग भवन, तीसरा तल्ला, रातू रोड, रॉची में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साक्षात्कार के लिए अलग से सूचना नहीं दी जायेगी ।

सत्र 2018–19 के लिए रेशम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र **(Format)** कार्यालय के सूचना पट्ट एवं उद्योग विभाग के वेबसाईट ***www.jharkhandindustry.gov.in*** पर दिया गया है।

HB/11/04/2018
निदेशक
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प